न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र)

निगरानी क्रमांक– सन्–2017

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4611

मुन्नालाल सोनी, आयु–50 वर्ष तनय श्री बाबूलाल सोनी,
निवासी ग्राम–कर्री, तहसील–राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.) ... आवेदक

बनाम

1. नाथूराम, आयु लगभग–65 वर्ष तनय श्री गजाधर सोनी,
निवासी ग्राम–कर्री, तहसील–राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.),

2. मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार, प्रभारी बसारी मण्डल, तहसील–राजनगर, जिला–छतरपुर द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक–45/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–18.09.2014 से असंतुष्ट होकर म.प्र. भू.रा.सं. 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

मान्यवर,

आवेदक सादर निम्नलिखित निवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4611 मुन्नालाल विरूद्ध नाथूराम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 45/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	